

रिपोर्ट पटवारी हस्ता/आ:0एल0आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार  
 महोदय, प्राथीय द्वारा दुरुस्त दस्तावेज, पहचान फॉ जन आधार कार्ड, परिवार राशन  
 कार्ड के आधार पर शशींकर पालि नरपतसिंह के ब्याय शशींकर पालि नरपतसिंह  
 किया जाना उरुस्त है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडागोडजी

दिनांक :-

8/12/2021  
 2428/मोरी  
 कमला सेनी  
 सरपंच  
 ग्राम पंचायत-छापौली  
 पंचायत समिति उदयपुरवाटी (हस्ता)

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक  
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदन पत्र नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशप्ता की जाती है / नहीं  
 की जाती है।

उरुस्त किया जाना उचित है

8/12/2021  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुडागोडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंडुनु (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्राथीय पत्र, पञ्चावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0आ0)  
 उदयपुरवाटी/गुडागोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्वधन मू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0आ0) उदयपुरवाटी/गुडागोडजी को राजस्व  
 रिकार्ड में अमल दरामट के आदेश दिये जाये है:

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	छापौली	2075-78	548	शशींकर पालि नरपतसिंह	शशींकर पालि नरपतसिंह

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
 दिनांक - 8/12/2021

क्रमांक - राजस्व/2020/2118  
 प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार (मू0आ0) उदयपुरवाटी/गुडागोडजी को वास्ते पालनाथी।
2. प्राथी/प्राथीया को सूचनाथी।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

